बिहार विधान सभा सचिवालय

की

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति

का

28वाँ प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा एवं इंदिरा आवास से संबंधित)

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा सचिवालय

(अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति शाखा)

पटना

2011

(सदन में उपस्थापन करने की तिथि ....21.7.11.............. ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	'क'
समिति के सदस्यों की सूची	'ख'
प्रतिवेदन	1-6
परिशिष्ट 1	7-10
परिशिष्ट 2	11-20

प्राक्कथन

मैं बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के अधीन समिति का 28वाँ (अठाईसवाँ) प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रतिवेदन में मनरेगा योजना एवं इंदिरा आवास के कार्यान्वयन को गतिशील, भ्रष्टाचार, बिचौलियों से मुक्त एवं जनपयोगी बनाने हेतु सुझाव दिये गये हैं, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दलित एवं महादलित अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को लाभ मिल सके । आशा है कि समिति की अनुशंसाओं का शीघ्र कार्यान्वयन कर राज्य के अंतिम सीढ़ी पर खड़े लोगों को विकसित किया जा सके ।

समिति सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती है, जिनके प्रेरणा एवं बहुमूल्य सूझाव से इस प्रतिवेदन को उपस्थापित करना संभव हो सका है । ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पदाधिकारीगण एवं जिला स्तरीय पदाधिकारीगण के भरपूर सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों ने जिस अभिरूची और तत्परता का परिचय दिया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

समिति यू०एन०डी०पी० नई दिल्ली के पदाधिकारी का आभारी है ।

समिति, सभा सचिवालय के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारी को धन्यवाद देती है, जिनका प्रतिवेदन तैयार करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त है ।

पटना:-
दिनांक:-

रमेश ऋषिदेव
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सदस्यों की सूची :- 2011-12

1.	श्री रमेश ऋषिदेव	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री रामेश्वर पासवान	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री इन्द्रदेव मांझी	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री कृष्णनंदन पासवान	स०वि०स०	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्रीमती ज्योति देवी	स०वि०स०	सदस्या
7.	श्री अरूण मांझी	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री श्यामदेव पासवान	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री सुरेश चंचल	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री संजय कुमार	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्री श्याम बिहारी राम	स०वि०स०	सदस्य
12.	श्रीमती अमला देवी	स०वि०स०	सदस्या
13.	श्री रामानन्द राम	स०वि०स०	सदस्य
14.	श्री अमन कुमार	स०वि०स०	सदस्य
15.	श्री सोनेलाल हेम्ब्रम	स०वि०स०	सदस्य
16.	श्री शिवेश कुमार	स०वि०स०	सदस्य
17.	श्री शशि भूषण हजारी	स०वि०स०	सदस्य

बिहार विधान सभा सचिवालय

1. श्री गिरीश झा, प्रभारी सचिव
2. श्री राजकिशोर रावत, उप सचिव
3. श्री राजकुमार रजक, अवर सचिव
4. श्री मोहन झा, प्रशासी पदाधिकारी
5. श्री बिनोद कुमार यादव, वरीय लिपिक
6. श्री विजय कुमार गोंड, कनीय लिपिक

प्रतिवेदन

बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चल रही है, राज्य सरकार ने दलित एवं महादलित समुदाय के लोगों को विकास एवं गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का प्रयास किया है ।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले दलित एवं महादलित के लोगों के विकास के लिये मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) तथा इंदिरा आवास योजना एवं शिक्षा की गारंटी योजना प्रारम्भ किया है । इन योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों के कारण योजनाएँ सफल नहीं हो पा रही है, इन योजनाओं की राशि दलित एवं महादलित समुदाय के लोगों के पास न जाकर बिचौलियों के पास चली जा रही है ये योजनाएँ देश के प्रायः सभी राज्यों में संचालित है और बिचौलियों एवं पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत प्रायः सुनने को मिलती है ।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की अध्यक्षता में बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति तथा ग्रामीण विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के साथ दिनांक 15 जून, 2011 को बिहार विधान सभा में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मनरेगा एवं इंदिरा आवास पर विस्तार से चर्चा की गयी । साथ ही समिति अन्य बिन्दुओं के साथ मनरेगा एवं इंदिरा आवास के कार्यों का दिनांक 25.01.2011 से 03.02.2011 तक राज्य के अन्दर कुछ जिलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें मनरेगा के कार्यों में काफी अनियमितताएँ उभरकर सामने आया ।

समिति निरीक्षण के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर सभा सचिवालय में बैठक का आयोजन कर मनरेगा एवं इंदिरा आवास पर चर्चा किया गया । बैठक से संबंधित पत्र परिशिष्ट-1 पर देखा जा सकता है ।

बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 15 जून, 2011 की बैठक में समिति को जानकारी दी गई की इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये बिहार सरकार ने जो प्रयास किये हैं उससे संबंधित विभागीय प्रतिवेदन परिशिष्ट-2 पर देखा जा सकता है ।

प्रधान सचिव ने समिति को यह भी जानकारी दी कि सोसल ऑडिट हो रहा है, सोसल ऑडिट के आधार पर ही जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त पर कार्रवाई भी हुई है एक उप विकास आयुक्त निलंबित (सस्पेंड) भी हुए हैं ।

सोसल ऑडिट सिर्फ रूटीन वर्क न हो, इसका जो उद्देश्य है, जो कल्पना है, जो इसका सिद्धान्त है, उसके अनुरूप हो, सोसल ऑडिट हो रहा है परन्तु अभी भी कुछ इसमें करना बाकी है ।

प्रधान सचिव ने यह भी जानकारी दी की मनरेगा एवं इंदिरा आवास में सैद्धांतिक रूप में बड़ी गलती हो गयी है आम सभा की बैठक वही मुखिया जी करते है, जिनके नेतृत्व में योजनाओं का चयन और गड़बड़ी भी होता है, अधिकांश गड़बड़ी उन्ही के यहाँ आकर होती है इस लिये विभाग का कोशिश होगा की पंचायत अधिनियम में ही कुछ संशोधन करना पड़ेगा, साथ ही आम सभा की अध्यक्षता मुखिया जी न करे, चूँकि एजेंसी वही है, ऑडिट भी वही कराते है इसलिये ऐसा होने से गड़बड़ी तो बनी रहेगी । उन्होंने यह भी बतलाया की मनरेगा के काम की सबसे ज्यादा आवश्यकता बिहार में है, लेकिन इसमें जो एक्सपेंडिचर है वह बहुत ही कम है, इसमें इस वर्ष से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु इसमें खर्चा

करने से कुछ नही होगा, इसमें पिपुल इनभौल्वमेंट की जरूरत है, इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है, इसमें जितनी भी योजनाएँ ली जाए उसका कार्यान्वयन हो, इसके लिये मार्च से विभाग द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है जितनी योजनाओं का इसमें कार्यान्वियन होता है वह जनता को जानकारी मिलना चाहिए जनता को इसके सिस्टम की सूचना मिलनी चाहिए । दूसरी बात यह की इसका लेजिंग कराकर जनता को पूरा डिटेल दिया जाय, सारे मजदूरों का नाम लिखा जा रहा हैं पिछले साल कितना पेमेन्ट हुआ, इस वर्ष कितना पेमेन्ट हुआ तथा दो साल बाद कितना होगा जिसके लिये जगह छोड़ा जा रहा है, इससे ऐसा करने से विचौलियों में भय होगा । नरेगा / मनरेगा के मजदूरों का अक्सर यह शिकायत रहता है कि हमलोंगो ने काम ही नही किया तो रूपये की निकासी कैसे हो गई, जिसकी जाँच विभाग जिला प्रशासन से कराया जाता है परन्तु जिला प्रशासन उसे रफादफा कर देता है, साथ ही उसने यह भी किया जो मजदूर उस समय बोले की हमने काम नहीं किया तो रूपये की निकासी कैसे हो गई जिससे जिला प्रशासन से एफिडेविट ले लिया जाता है और अपने रिपोर्ट में दर्शाया जाता है कि मजदूरों ने रूपये ले लिये हैं जिसका एफिडेविट प्राप्त है ।

समिति के एक माननीय सदस्य द्वारा समिति को यह जानकारी दिया गया कि गया जिला के फतेहपुर प्रखण्ड के उप प्रमुख अरूण कुमार दादपुरी द्वारा वर्ष-2008 में मनरेगा की कुल राशि 1 करोड़ 83 लाख रूपये की निकासी करा लिया गया गलत ढ़ग से जिसके आरोप में उनपर केस संख्या-41/2008 तथा केस संख्या-156/10 दर्ज है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति तथा ग्रामीण विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 15 जून, 2011 को बिहार विधान सभा परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें समिति का 27वाँ प्रतिवेदन में उल्लेखित मनरेगा एवं इंदिरा आवास में हो रहे गड़बड़ी पर कैसे अंकुश लगाया जाय तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिये सरकार द्वारा देय सुविधा कैसे उन लोगों तक सही ढ़ंग से पहुँचाया जाय इन विषयों पर चर्चा की गई थी । साथ ही उक्त तिथि की बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई की पूरे बिहार में ईंट बनाने का काम 100 प्रतिशत मैनुएल है, उसमें कहीं भी मशीन का उपयोग नहीं होता है, मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, ईंट तैयार होने के बाद वह पक्का काम में आ जाता है, चूँकि यह 100 प्रतिशत मैनुएल काम है, इसलिए इस काम को 60 प्रतिशत में जोड़ा जाय । ऐसा करने से ईंट भट्ठा में काम करने वाले गरीब मजदूर को भी कुछ फायदा पहुँचाया जा सकता है । इंदिरा आवास के संबंध में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि मुखिया जी के खिलाफ लोगों ने एफिडेविट करके दे दिया गया की हमसे पैसा ले लिया गया, लेकिन भुगतान करके सो गये, बेनेफिसरिज (लाभुक) की इतनी क्षमता नहीं है की वह बार-बार दौड़े, अगर वह काम छोड़कर एक दिन कही जाता है तो उनकी मजदूरी मारी जायेगी, इसके लिये जिला स्तर पर जिम्मेवारी दिया जाय कि अगर कोई शिकायतकर्त्ता एफिडेविट करके देता है तो उसका काँगजिनेन्स लेना अनिवार्य हो नही तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति स्थल अध्ययन यात्रा दल-1

दिनांक 25.01.2011 से 03.02.2011 तक राज्य के अंदर बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपूरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में जाकर अन्य विषयों के साथ-साथ मनरेगा एवं इंदिरा आवास के कार्यों का निरीक्षण किया है जो निम्न प्रकार है :-

बेगूसराय जिला के सोनवा पंचायत में नरेगा के कार्यों का निरीक्षण :-

समिति दिनांक 25.01.2011 को बेगूसराय जिला के सोनवा पंचायत में नरेगा के द्वारा बनाये गये पुल का निरीक्षण किया तो पाया कि रोड पर दो नं० के ईंट का सोलिंग कर दोनों किनारे मिट्टी के गिलावा पर ईंट जोड़कर बीच में मिट्टी भर दिया गया था और पुल का निर्माण हो चुका था समिति महसूस यह किया कि एक योजना को तीन योजनाओं से कभर कर दिया गया । नरेगा के तहत् योजना सं०-2/2010-11 के द्वारा 95000/- रूपये में 350 फीट ईंट सोलिंग एवं मिट्टी का कार्य हुआ और उसी स्थान पर बी०आर०जी०एफ० योजना संख्या-01/2009-10 में 500 फीट पी०सी०सी० एवं पुलिया का निर्माण 4,97,700/- रूपये में किया गया जैसा की वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने समिति को बतलाया की यह कार्य यहाँ के मुखिया जी के द्वारा कराया जा रहा है । वहाँ मौजूद एस०डी०ओ० एवं बी०डी०ओ० को समिति द्वारा निर्देश दिया गया था कि पंचायत सेवक, कनीय अभियंता एवं मुखिया जी के खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी जाँच कराकर एफ०आई०आर० करने का कार्रवाई करेगे और की गई कार्रवाई से समिति को अवगत करायेगे परन्तु अभी तक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

सहरसा जिला के कहरा प्रखंड के सुलिन्दाबार ग्राम में इंदिरा आवास का निरीक्षण :-

समिति दिनांक 28.01.2011 को सहरसा जिला के सुलिन्दाबाद ग्राम में बन रहे इंदिरा आवास का निरीक्षण किया गया, उक्त ग्राम में 42 लाभुक को इंदिरा आवास सरकार द्वारा दिया गया है, लाभुक श्री सुरेन्द्र सदा, पिता-श्री महाराज सदा, श्रीमती पूनम देवी पति श्री विनोद सदा, श्रीमती चम्पा देवी, पति-श्री विजय सदा, पुतनी देवी एवं अन्य लाभुक ने समिति को बतलाया की मुखिया द्वारा इंदिरा आवास मुहैया कराने में प्रत्येक लाभुक से 6000/- हजार रूपये रिश्वत लेकर दिया गया । इस संबंध में विभाग से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है ।

मधेपुरा जिला के बिसुनपुर बाजार ग्राम का इंदिरा आवास का निरीक्षण :-

समिति दिनांक 29.01.2011 को मधेपुरा जिला के ग्राम बिसुनपुर बाजार में बन रहे इंदिरा आवास का निरीक्षण किया गया, उक्त ग्राम के स्थानीय ग्रामीण श्रीमती पानो देवी, श्री दशरथ राम ने समिति को जानकारी दिया की यहाँ इंदिरा आवास देने में मुखिया जी द्वारा पैसा का मांग किया जाता है, समिति इस संबंध में उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था तथा उक्त ग्राम में पुर्नवास योजना में भी मुखिया जी को रिश्वत मांगने का आरोप वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया । साथ ही समिति के समक्ष उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों ने समिति को जानकारी दी की यहां इंदिरा आवास में कालिम स्थानीय नेता के द्वारा राशि ली गई है तथा लाभुकों का पासबुक अपने पास रखे हुए है ।

सुपौल जिला बिसुनपुर प्रखंड एवं चौहट्टा पंचायत में इंदिरा आवास के कार्यों का निरीक्षण किया गया दिनांक-31.01.2011 को निरीक्षण के क्रम में समिति ने देखा की जो इंदिरा आवास बना है, उसका निर्माण कार्य अच्छे ढंग से नहीं कराया गया था, साथ ही बहुत से इंदिरा आवास को अधुरा ही छोड़ दिया गया था । वहां उपस्थित ग्रामीण जैसे श्री भोला सदा, श्रीमती विमला देवी, श्री चरितर सदा ने समिति को बतलाया की मुखिया जी के द्वारा राशि लेकर निर्माण कार्य कराया गया है इस पर समिति ने जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था । परन्तु जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया इसकी सूचना समिति को अभी तक अप्राप्त है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति स्थल अध्ययन यात्रा दल-2, दिनांक 31.01.2011 को सीतामढ़ी जिला के बेरवास पंचायत में बन रहे इंदिरा आवास का समिति ने निरीक्षण किया उक्त पंचायत के उषा देवी एवं सहिन्द्र सदा का इंदिरा आवास जो दिया गया था उसे समिति ने

देखा, तो पता चला की उक्त इंदिरा आवास में ईंट की जोड़ाई मिट्टी के गिलावा से किया गया था, वहां इंदिरा आवास बनाने के एवज में वहां के पंचायत सेवक एवं अन्य पदाधिकारी-कर्मचारीगण लाभूक से घुस मांगते हैं, उस समय समिति ने स्थानीय पदाधिकारी को इंदिरा आवास का काम सही ढंग से कराने का निदेश दिया था ।

बेतिया जिला के मंझौलिया प्रखंड एवं अहवरपुरिया पंचायत में समिति ने इंदिरा आवास का निरीक्षण किया वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने समिति को जानकारी दी की यहां ग्राम सेवक एवं मुखिया जी के द्वारा तीन-चार हजार रूपये रिश्वत मांगा जाता है, समिति विभागीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए कार्रवाई की अनुरोध की ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें :-

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की निश्चितता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक इच्छुक अकुशल मजदूर परिवार के व्यस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन तक रोजगार मुहैया सुनिश्चित करना । इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में कार्यो की मापी कर मजदुरी का भुगतान किया जायेगा एवं मास्टर रौल संधारित किया जायेगा । मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हेतु उनके नाम से एक पास बुक निर्गत किया जायेगा जिसमें मजदूरों द्वारा की गई सभी तिथियों की कार्य की मापी देते हुए उनके द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान का उल्लेख किया जायेगा ।

ग्राम पंचायत :- बी.आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है । कार्यो की योजना तैयार करने, परिवारों का पंजीकरण करने रोजगार कार्ड जारी करने, रोजगार आवंटित करने कम से कम 50 प्रतिशत कामों को लागू करने और गांव स्तर पर योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को ही सौंपा गया है । इन सारे कार्य भारों का प्रभावी कार्य बोझ काफी बढ़ेगा इसलिये एन.आई.ई.जी.सी से संबंधित दायित्व का सही प्रकार निर्वाह करने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सवेक की नियुक्ति कि जा सकती है ।

(1) ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा की किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिये कार्य योजना तैयार कर पंचायत समिति एवं जिला परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर लें ।

(2) जिला स्तर पर अनुमोदित वार्षिक योजना में से कम से कम 50 प्रतिशत लागत का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता के अनुसार निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे ।

(A) जल संरक्षण एवं जल संचय ।

(B) सुखे से बचाव के लिये वृक्षारोपण और वन संरक्षण

(C) सिंचाई के लिये सुक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण ।

(D) अनुसूचित जाति / जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों की जमीन तक सिंचाई की सुविधाएँ पहुंचाना ।

(E) परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी ।

(F) भूमि विकास

(G) बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है ।

(H) गांवों में सड़कों का चारों ओर व्यापक जाल हो ताकि सभी गांवों का बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके । सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती है और गांव के भीतर सड़कों के साथ साथ नालिया भी बनाई जा सकती है ।

(I) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के साथ परामर्श के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य किया जाना ।

कार्यस्थल पर मजदूरों को प्राथमिक उपचार, पीने का पानी, छः साल से कम उम्र के पांच से अधिक बच्चे होने पर क्रेश की सुविधा उपलब्ध करायी जाय, कार्य स्थल पर इन सुविधाओं के लिये व्यय का भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

सरकार निम्न बिन्दुओं पर निगरानी रखे ताकि कार्यों में पारदर्शिता हो :-

(1) रोजगार की मांग - प्रत्येक स्तर पर उचित आपूर्ति ।
(2) भुगतान - प्रत्येक स्तर पर किया गया काम ।
(3) प्रत्येक स्तर पर अनुदानों की उपलब्धता ।
(4) तकनिकी और प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृत अनुमानों को तत्काल उपलब्ध कराना ।
(5) प्रत्येक स्तर पर तकनिकी सहायता कर्मियों की उपलब्धता ।
(6) प्रत्येक स्तर पर पर गैर तकनिकी कर्मियों और कार्यक्रम अधिकारी की उपलब्धता ।
(7) किसी क्रियान्वयन निकाय को मिलने वाली अग्रिम राशि कम से कम होनी चाहिए ।
(8) शिकायतों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए ।

इस तरह मनरेगा के तहत किये गये प्रावधान अनुसार समिति इस परिपेक्ष्य में यह महशूस करती है कि इस कार्य में कहीं न कहीं काफी अनियमितताएँ हो रही है । समिति बेगूसराय जिला के सोनवा पंचायत में बने पुल में मुखिया एवं स्थानीय पदाधिकारी के मिलीभगत से गड़बड़ी किया गया था तथा सहरसा जिला के सुलिन्दाबाद ग्राम में इंदिरा आवास के निर्माण कराने हेतु वहां के मुखिया जी द्वारा रिश्वत लेकर काम कराने का आरोप लगाया गया है तथा मधेपुरा जिला के बिसुनपुर बाजार में बन रहे इंदिरा आवास में वहां के स्थानीय नेता कालिम द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है । साथ ही विसुनपुर प्रखंड एवं चौहट्टा पंचायत में बन रहे इंदिरा आवास में वहां के मुखिया जी के द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है, तथा सीतामढ़ी जिला के बेरवास पंचायत में बन रहे इंदिरा आवास में पंचायत सेवक एवं स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है तथा बेतिया जिला के मझौलिया प्रखण्ड एवं अहवरपुरिया पंचायत में बन रहे इंदिरा आवास में ग्राम सेवक एवं मुखिया जी द्वारा गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया है ।

समिति, निष्कर्ष के आधार पर निम्न अनुशंसा करती है :-

[1] कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये जाँच हेतु एक अलग जाँच एजेंसी बनाया जाय, भ्रष्टाचार पर अंकुश जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा खास तौर से पंचायत सेवक, ग्राम सेवक और प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जो नाजीर होते हैं इम्पलीमेंटिग एजेंसी है यानी ग्राउण्ड लेवेल पर अंकुश लगायी जाय ।

[2] कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार के तथ्यों को कलेक्ट करने के लिए एक अलग एजेंसी की बहाल करते हुए उनके फोटोग्राफी सर्टिफायड करके दिया जाय ताकि उस पर विभाग को कार्रवाई करने में सुविधा हो ।

[3] कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिये 10वीं कक्षा में बढ़ रहे लड़के / लड़कियों खास तौर से जो एन०सी०सी०, स्काउट के छात्र, छात्राएँ हो उन्हे एक प्रश्नावली बनाकर दिया जाय तब उसके आधार पर अच्छा इनफोरमेशन (सूचना) दे सकता है जिससे विभाग को फोर्स (बल) मिल जाये ।

[4] कल्याणकारी योजना के कार्यों में सेलेक्टेड एन०जी०ओ० को लगाया जाय ।

[5] कल्याण विभाग की मदद से इंदिरा आवास को पूर्ण कराने में विकास मित्र को प्रोत्साहन राशि देकर इन कार्यों में लगायी जाय ।

[6] लाभुकों को बैंक में जो असुविधा होती है उनके लिये फैमिली एकाउण्ट खोला जाय ।

[7] मनरेगा के तहत् कोई भी योजना बनाने के लिये पूरे गाँव की सहमति लेकर योजना का जो सेलेक्शन हो उसका विडियोग्राफी साउण्ड के साथ करायी जाय ।

[8] मनरेगा एवं इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी हो या मुखिया जी हों या अन्य लोग हो वैसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाय ।

[9] बिहार में ईंट बनाने का काम 100 प्रतिशत मैनुअल है, इसमें कहीं भी मशीन का उपयोग नही होता है मिट्टी से ईंट बनाई जा रही है, ईंट बनने के बाद वह पक्का काम में आ जाता है इसलिये इसमें लगे मजदूरों को प्रोत्साहित किया जाय ।

[10] मनरेगा के योजना के चयन में स्थानीय माननीय विधायकों को भी शामिल किया जाय ।

[11] मनरेगा के सोसल ऑडिट माईकिंग और फोटोग्राफी कराया जाय ।

[12] भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बायोमेट्रीक सिस्टम से उसी स्थान पर मजदूरों का ठप्पा लेकर भुगतान किया जाय ।

(रमेश ऋषिदेव)
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-वि०स० (क०)-08/2010- 964 /वि०स० ।

प्रेषक,

श्री राज किशोर रावत
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 16, मई, 2011 ई०.

विषय :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की बैठक के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की दिनांक 28.4.11 को 3:00 बजे अपराह्न में हुई बैठक के निर्णयानुसार समिति की अगली बैठक दिनांक 16.5.11 को 3:00 बजे अप० में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष, पटना में निर्धारित की गई, जिसमें समिति आपसे जिलों में निरीक्षण की गई बिन्दुओं पर विचार विमर्श करेगी ।

(1) सहरसा जिला के तुलिन्दाबाद ग्राम कहरा प्रखण्ड में बन रहे इंदिरा आवास दलित बस्तियों का निरीक्षण किया गया था, वहाँ के लाभान्वितों ने समिति को बताया किया यहाँ इंदिरा आवास के निर्माण कार्य में मुखिया के द्वारा 6000/-रूपये लेकर कार्य कराया जा रहा है, से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ।

(2) समिति की राज्य के अन्दर दिनांक 29.1.11 को मधेपुरा जिला के कुमारखण्ड के नाढ़ी पंचायत के विशुन बाजार के दलित बस्तियों में इंदिरा आवास का निरीक्षण किया गया था, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई थी वहाँ मौजूद बी०डी०ओ० से समिति ने जाँच रिपोर्ट की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु अभी तक ~~xxxx~~ अप्राप्त है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तिथि की निर्धारित बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रतिवेदन बीस (20) प्रतियों में बैठक से पूर्व उपलब्ध कराते हुए बैठक में स्वयं भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

for [signature] 13/5/11

(राजकिशोर रावत)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।
13.5.11

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-वि0स0।क0।-ई-08/10-1099/वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री लक्ष्मीकान्त झा
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 30, मई, 2011 ई0

विषय :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के बैठक के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- सभा सचिवालय के पत्र संख्या-964, दिनांक 16 मई 2011 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की अगली बैठक दिनांक 03.06.2011 को 3:00 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी, "जिसमें समिति आपसे सभा सचिवालय के पत्रांक-964, दिनांक 16 मई, 2011 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करेगी ।"

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तिथि की निर्धारित बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन बीस ।20। प्रतियों में बैठक से पूर्व उपलब्ध कराते हुए बैठक में स्वयं भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/- 27/5/11
। लक्ष्मीकान्त झा ।
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

27/5/11

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं0-वि0स0 1क01-08/2010- /वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री राजकिशोर रावत
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- , मई, 2011 ई0.

विषय :- मनरेगा योजना से सम्बन्धित समिति के प्रतिवेदन संख्या-27 पर विचार विमर्श हेतु समिति की बैठक में उपस्थित होने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की बैठक दिनांक 15 जून, 2011 को 12:30 बजे अपराह्न में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभा सचिवालय स्थित कमरा संख्या-107 में होगी, जिसमें समिति आपसे मनरेगा से सम्बन्धित समिति के प्रतिवेदन संख्या-27 पर विचार विमर्श करेगी । (प्रतिवेदन की प्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि समिति की उक्त निर्धारित बैठक में यथा तिथि, समय एवं स्थान पर वांछित प्रतिवेदन की 20 (बीस) प्रतियों के साथ उपस्थित होने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजकिशोर रावत)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं0-वि0स0 1क01-08/2010- /वि0स0, पटना, दिनांक- , मई, 2011 ई0

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं0-वि0स0 1क01-08/2010- 1124/वि0स0, पटना, दिनांक- 31, मई, 2011 ई0

प्रति :- अवर सचिव, प्रतिवेदन शाखा/ प्रशाखा पदाधिकारी, अवधायक शाखा, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/5/11
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।
31/5/11

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-वि०स०[क०]-08/2010- /वि०स० ।

प्रेषक,

श्री राजकिशोर राव,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- जून, 2011 ई० ।

विषयः- मनरेगा योजना से संबंधित समिति के प्रतिवेदन संख्या-27 पर विचार-विमर्श हेतु समिति की बैठक में उपस्थित होने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति की बैठक दिनांक 15 जून, 2011 को 12.30 बजे अप० में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभा सचिवालय स्थित उपभवन में होगी, जिसमें समिति आपसे मनरेगा से संबंधित समिति के प्रतिवेदन संख्या-27 पर विचार विमर्श करेगी । [प्रतिवेदन की प्रति संलग्न]

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित बैठक में यथा तिथि, समय एवं स्थान पर वांछित प्रतिवेदन की 20 [बीस] प्रतियों के साथ उपस्थित होने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
[राजकिशोर राव]
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-वि०स०[क०]-08/2010- /वि०स०, पटना, दिनांक- जून, 11 ई० ।

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-वि०स०[क०]-08/2010- 1191/वि०स०, पटना, दिनांक- 7 जून, 11 ई० ।

प्रतिः- अवर सचिव, प्रतिवेदन शाखा / प्रशाखा पदाधिकारी, अल्पसूचना-शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

07/6/11
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-2

श्री रमेश ऋषिदेव, सभापति, (स0वि0स0)

	बिहार विधान सभा के अनु0 जा0 एवं अनु0 जन जा0 कल्याण समिति की अनुशंसा	अनुपालन
1.	मनरेगा योजना के कार्यान्वयन का सामाजिक अंकेक्षण पूरे बिहार में कराया जाय तथा गलत भुगतान को इंगित कर राशि की वसूली की जाय और दोषी पदाधिकारी एवं दोषी व्यक्तियों पर कानूनी एवं आपराधिक कार्रवाई की जाय :	मनरेगा योजना के कार्यान्वयन का समाजिक अंकेक्षण सभी पंचायत में किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण में योजना से संबंधित अभिलेख तथा योजना की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में चर्चा की जाती है । शिकायत प्राप्त होने पर दोषी वयक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है । मनरेगा के तहत् छः के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गयी है ।
2.	बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के तहत स्मार्ट कार्ड के द्वारा मनरेगा के लाभार्थियों का भुगतान किया जाय :	मनरेगा अंतर्गत ई-शक्ति परियोजना के तहत बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा मजदूरों के मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान है । प्रथम चरण में पायलट जिला के रूप में पटना में यह कार्य किया जा रहा है । वर्तमान में बिहटा, नौबतपुर, सम्पतचक, फुलवारीशरीफ, मनेर, मोकामा, मसौढ़ी, घोसवरी, फतुहां, दुल्हिन बाजार, दनियाँवा, दानापुर, बिक्रम, बाढ़, बख्तियारपुर, अथमलगोला, में बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा मजदूरों की मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है । अबतक 28 लाख 75 हजार 423 रूपये 92 पैसे का भुगतान इन प्रखंडों में बायोमेट्रिक कार्ड के द्वारा किया जा चुका है । साथ हीं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय समावेशन परियोजना अंतर्गत मजदूरों को CFT के माध्यम से मजदूरी का भुगतान उनके हीं पंचायत में बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा किया जा रहा है ।
3.	सीमान्त किसान एवं गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को निजी जमीन पर मनरेगा योजना के तहत काम का प्रबंधन किया जाय :	मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 पारा(IV) में संशोधन किया गया है । उक्त के आलोक में अनुसूचित जाति तथा अनु0 जन जाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार कार्यक्रमों के लाभान्वित, भारत सरकार के इन्दिरा आवास योजना के लाभन्वित तथा सीमांत एवं लघु

		कृषक की निजी भूमि पर सिंचाई की सुविधा (यथा कुआँ, तालाब, नाली निर्माण की योजना वर्तमान सिंचाई कूपों पर रिचार्ज संरचनाएं), भूमि विकास, वृक्षरोपण, बागवानी की योजनाएँ ली जा सकती है । (सर्वप्रथम अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 की भूमि पर प्राथमिकता के आधार पर ली जायेगी । इसे पश्चात् अन्य श्रेणी के यथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, लघु एवं सीमांत कृषकों का चयन किया जाय । इस प्रकार के सभी योजनाओं के लिये चयनित व्यक्ति का जॉब कार्डधारी होना आवश्यक है तथा योजना में उनके द्वारा योजना में कार्य किया जाना आवश्यक है । यह स्पष्ट किया जाता है कि इन योजना के कार्यान्वयन के बाद भी यह भूमि भू-धारी की परिसम्पत्ति बनी रहेगी । इस संबध में विभागीय प्रत्रांक- 8692 दिनांक- 24.09.2009 एवं पत्रांक- 8879 दिनांक- 01.10.2009 द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिये गये है ।
4.	बैंकों को कार्यक्रम बनाकर एवं शिविर लगाकर इंदिरा आवास के भुगतान का प्रबंधन किया जाय, जिससे उन्हें बार-बार किसी कार्यालय में दौड़ने की आवश्वकता न पड़े और समय पर भुगतान हो सकें;	इंदिरा आवस का वितरण शिविर लागकर करने तथा लाभू को भूगतान सुनिश्चित हो सके इस संबंध में विभाग द्वारा एक व्यवस्था की गई है जो अनुलग्नक एक रूप में संलग्न है । इसके अनुरूप वर्ष 2011- 12 में दिनांक- 27 अगस्त 2011 को पूरे बिहार राज्य में एक ही दिन इंदिरा आवास जिसकी संख्या 737486 है का शिविर लगाकर वितरण करने की व्वस्था की गई है ।
5.	कल्याणकारी योजनाओं में भ्रटाचार की समाप्ति के लिए जॉच हेतु अलग जॉच एजेंसी बनाया जाय, जो मुख्यालय के नियंत्रण में हो और शीध्रता से कार्रवाई कर सकें। योजनाओं में भ्रटाचार की समाप्ति के लिए औचक निरीक्षण एवं दण्ड देने का भी प्रावधान किया जाय ;	मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना में अनिमियता की शिकायत की जॉच के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 7017.   पटना, दिनांक 15.06.2011

ग्रा.वि.8(स.)46/2011

प्रेषक,

कृष्ण मोहन,

संयुक्त विकास आयुक्त ।

सेवा में,

श्री राज किशोर रावत,

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

विषय:- **बिहार विधान सभा के अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण समिति की अनुशंसा के अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- वि0 स0 (क)-08/2010- 1124/विस0 दिनांक-31.05.2011 के आलोक में बिहार विधान सभा के अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण समिति की गई अनुशंसा के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(कृष्ण मोहन)

संयुक्त विकास आयुक्त

बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 6889 पटना, दिनांक 11/06/11

R.11019/100/2011 Sec07

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

विषय :- **वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास के लाभार्थियों का चयन, आवासों की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए कालबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के अंतर्गत 737486 आवास निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं रू0 33,35,93.92 लाख (तेतीस अरब पैंतीस करोड़ तिरानवें लाख बानवें हजार) का एलोकेशन भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष का अवशेष लक्ष्य एवं विशेष पैकेज के तहत पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को भी चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा किया जाना है । इतनी बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति एवं सहायता राशि का भुगतान विशेष अभियान चलाकर ही संभव है ।

पूर्व में विभागीय-पत्रों के माध्यम से इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कालबद्ध प्रक्रिया अपनाने हेतु दिशानिर्देश दिए जाते रहे हैं । किन्तु विभागीय निर्देश के बावजूद भी योजनांतर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवासों की स्वीकृति तथा सहायता राशि का भुगतान ससमय नहीं हो पा रहा है । फलत: कई जिलों को एलोकेशन के अनुसार केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं हो पाती है एवं गरीब परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल पाता है ।

इस योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन, आवासों की स्वीकृति, लाभार्थियों का बैंक खाता खुलवाने एवं सहायता राशि भुगतान की समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण पूरे वर्ष लाभुकों का चयन एवं स्वीकृति का सिलसिला चलता रहता है जिसमें बिचौलियों एवं दलालों को लाभार्थियों को ठगने का मौका मिल जाता है ।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजनांतर्गत लाभार्थियों का चयन, आवास की स्वीकृति, सहायता राशि भुगतान आदि की कार्रवाई को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर इस कार्य को समय सीमा के अंदर सम्पन्न कराने का विभाग ने निर्णय लिया है । अभियान के लिए एक कालबद्ध प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

1. **प्रखंडवार / पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण एवं संसूचन (15 जून 2011 तक) :-**

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जिलों को संसूचित हैं । उक्त लक्ष्य के अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष का अवशेष लक्ष्य एवं विशेष पैकेज के तहत पूर्व वर्ष के लंबित लक्ष्य को भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूरा किया जाना है । सभी उप विकास आयुक्त जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्व वर्ष के अवशेष लक्ष्य को प्रखंडवार/पंचायतवार एवं कोटिवार निर्धारित कर सभी प्रखंडों को सूचित करेंगे । अल्पसंख्यकों का लक्ष्य प्रखंड स्तर तक के लिए विभाग द्वारा निर्धारित कर संसूचित किया जा चुका है ।

2. **प्रखंड/पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य का प्रखंड कार्यालय/पंचायत कार्यालय एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन (16 जून से 18 जून, 2011 तक) :-**

उप विकास आयुक्त प्रखंडवार/पंचायतवार एवं कोटिवार प्राप्त लक्ष्य को प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यालय एवं सभी पंचायत कार्यालयों में प्रकाशित करायेंगे ताकि आम व्यक्ति को भी जानकारी मिल सके कि पंचायत में इस वित्ती य वर्ष में सामान्य/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अल्पसंख्यक/विकलांग के लिए कितने आवास बनाये जाने हैं ।

3. **इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से कोटिवार लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का चयन (19 जून से 21 जून, 2011 तक):-**

प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला से लक्ष्य प्राप्त होते ही विधिवत तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से कोटिवार (अनु0 जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं सामान्य) लाभार्थी का चयन कर एक सूची तैयार करेंगे । इसमें ध्यान रखा जाएगा कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया गया है ।

यदि पंचायत अंतर्गत कोई कोटि अथवा वर्ग के परिवार समाप्त हो गये हैं तो मार्गदर्शिका की कंडिका 1.5 (iii) के अनुसार कार्रवाई करते हुए लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों का चयन करेंगे ।

4. **चयनित लाभार्थियों की सूची को प्रखंड/अंचल के अभिलेखों से सत्यापन (22 जून से 28 जून, 2011 तक) :-**

चयनित लाभार्थियों को इंदिरा आवास निर्माण हेतु पूर्व में सहायता राशि दी गयी है अथवा नहीं एवं मकान निर्माण के लिए लाभार्थी को भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं, का सत्यापन प्रखंड/अंचल में उपलब्ध अभिलेखों से करते हुए सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की देख-रेख में निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा । अभिलेखों से सत्यापन के क्रम में यदि किसी लाभार्थी का नाम हटाया जाता है तो इसके स्पष्ट कारण का उल्लेख कर लाभार्थी को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

5. **अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात कोटिवार लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन (29 जून से 30 जून, 2011 तक):-**

प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची के सत्यापन के पश्चात कोटिवार लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर प्रखंड एवं पंचायत कार्यालयों में प्रकाशित करायेंगे तथा एक प्रति स्थानीय सदस्य, बिहार विधान सभा तथा विधान परिषद को भी उपलब्ध करायेंगे । सूची स्वच्छ एवं पारदर्शी एवं त्रुटिरहित हो, इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हर हाल में सुनिश्चित करेंगे । स्थायी प्रतीक्षा सूची में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाएगा ।

6. प्रत्येक पंचायत में शपथ पत्र, फोटोग्राफी एवं बैंक खाता खोलने से संबंधित कार्य के लिए शिविर आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण (01 जुलाई से 03 जुलाई, 2011 तक):-

प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में शिविर आयोजन के लिए तिथि एवं समय का निर्धारण करेंगे । शिविर निर्धारण से संबंधित सूचना अनुमंडल पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी को देंगे । लाभार्थी का फोटोयुक्त बैंक खाता खुलवाना, शपथ पर कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष बयान, अभिलेख खोलने एवं सहायता राशि भुगतान की सारी प्रक्रिया शिविर में ही पूरा किया जाना है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी 'कार्यपालक दंडाधिकारी' को प्रखंडों द्वारा निर्धारित शिविर की तिथि में उपस्थित होकर शपथ-पत्र पर बयान लेने हेतु निदेश देंगे । शपथ लेने वाले लाभार्थी की पहचान न्यायमित्र द्वारा किया जाएगा । शपथ पत्र पर आने वाला खर्च प्रति लाभार्थी 40/- रूपये का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । इसी प्रकार प्रखंड स्थित सभी बैंक शाखाओं को भी इन शिविरों में उपस्थित होकर लाभार्थियों को फोटोयुक्त खाता खोलने हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से निदेश दिया जाएगा तथा इस संबंध में जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी (DLCC) की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया जायेगा ।

7. अंतिम रूप से चयनित लाभान्वितों को लिखित सूचना का तामिला कराना (04 जुलाई से 09 जुलाई, 2011 तक):-

प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अंतिम रूप से चयनित सभी लाभार्थियों को इसकी लिखित सूचना चौकीदार के माध्यम से दें । यह ध्यान रखा जाए कि सूचना किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नहीं दी जाए अन्यथा सूचना को आधार बनाकर भी दलाल/बिचौलिये लाभार्थी को भ्रमित कर उनसे नाजायज राशि वसूल सकते हैं । सूचना पत्र में शिविर की तिथि एवं स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि लाभुक का नाम सामान्य/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अल्पसंख्यक/विकलांग कोटि में चयनित किया गया है, पंचायत में आयोजित होने वाली शिविर में उनका शपथ पत्र लिया जाएगा एवं फोटोग्राफी कराकर बैंक खाता खुलवाया जाएगा तथा आवास स्वीकृति से संबंधित सभी कार्य शिविर में ही सम्पन्न किए जाएँगे । पत्र में यह भी उल्लेख किया जाए कि वे किसी दलाल, बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसे ।

8 शिविर आयोजन के पूर्व प्रचार-प्रसार आदि की व्यवस्था :-

सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन होना है । शिविर आयोजन की तिथि के दो दिन पूर्व से एवं शिविर की तिथि को शिविर का उद्देश्य एवं शिविर में संपादित किये जाने वाले कार्यो का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा । इस विशेष अभियान के तहत लाभान्वित किये जाने वाले लाभार्थियों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड अंतर्गत सभी सहज वसुधा केन्द्रों (सी0ए0सी0) को उपलब्ध कराएगें ताकि इन केन्द्रो पर लाभार्थी जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक पंचायत में दो रिक्शा / ऑटो रिक्शा जिसपर शिविर का होर्डिंग लगा रहेगा, लाउडस्पीकर के साथ सघन प्रचार-प्रसार किया जायेगा साथ ही इंदिरा आवास योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी तथा शिविर में संपादित किये जाने वाले कार्यो का

पम्फलेट मुद्रित कराकर वितरण किया जाएगा । प्रचार-प्रसार पर प्रति पंचायत 1120 रूपये व्यय अनुमानित है जिसका वहन विभाग द्वारा किया जायेगा।

9 पंचायतों में शिविर का आयोजन एवं शिविर में संपादित किये जाने वाले कार्य (10 जुलाई से 22 अगस्त, 2011 तक) :-

शिविर में निम्नांकित कार्य संपादित किये जायेंगे :-

(क) लाभार्थियों का फोटोग्राफी :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का फोटो खिंचवाने की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही की जाएगी । इसके लिए फोटोग्राफर फोटो खींचकर शिविर स्थल पर ही फोटो उपलब्ध करायेंगे ताकि फोटो का उपयोग शिविर में अभिलेख खोलने तथा बैंक खाता खोलने में किया जा सकेगा । एक फोटो कॉपियर मशीन भी शिविर स्थल पर रखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके । प्रति लाभुक फोटोग्राफी एवं फोटोकॉपियर पर 30 रूपये व्यय अनुमानित है जिसका वहन विभाग द्वारा किया जायगा ।

(ख) लाभार्थियों का शपथ पत्र पर बयान हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी की व्यवस्था :-

शिविर की तिथि को शिविर स्थल पर कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे । प्रखंड विकास पदाधिकारी शपथ पत्र का प्रारूप पूर्व से मुद्रित कराकर रखेंगे ताकि टाइप करने अथवा बयान को हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं रहे ।

लाभार्थी नोटरी के समक्ष निम्न प्रकार शपथ पत्र पर अपना बयान दर्ज करायेंगे:-

(i) मैं (लाभुक का नाम) या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में इंदिरा आवास योजनांतर्गत किसी तरह का सहायता अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

(ii) मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य को पूर्व से कोई पक्का मकान नहीं है।

(iii) मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है ।

(iv) मैं या मेरे परिवार के सदस्य श्री .... पिता/पति......................... के नाम से राजस्व ग्राम .... जिला .... में आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है ।

(v) मेरा (लाभुक) नाम .... राजस्व ग्राम.......................... ग्राम पंचायत........................... प्रखंड........................ जिला के बी.पी.एल. सूची में परिवार की पहचान संख्या .... में अंकित है ।
(यदि महिला लाभुक के नाम से बी.पी.एल. परिवार की पहचान संख्या नहीं है तो उस परिवार के मुखिया से लाभुक का क्या संबंध है, यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा)

(vi) मैं इंदिरा आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी राशि का उपयोग आवास बनाने के कार्य में ही करूँगा । प्राप्त राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं करूँगा ।

(vii) उपर्युक्त बिन्दु (i) से (vi) तक का कथन सत्य है और वह यदि बाद में गलत पाये जायेंगे तो मैं उचित कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा तथा इस मद में मेरे द्वारा ली गई राशि ब्याज सहित मुझसे वसूलनीय होगी ।

इंदिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिये गए शपथ पत्र के आधार पर इंदिरा आवास की स्वीकृति शिविर में प्रदान की जाएगी । (स्वीकृति पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा पूर्व में संसूचित किया जा चुका है)

(ग) लाभार्थियों का बैंक खाता खोलवाना :-

शिविर में सभी आवश्यक कागजातों के साथ बैंक कर्मी भी उपस्थित रहेंगे । शिविर में ही बैंक कर्मियों द्वारा लाभार्थियों का खाता खोला जाएगा तथा खाता नम्बर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की स्थायी प्रतिक्षा सूची में शामील बी0पी0एल0 परिवार के महिला सदस्य के नाम पर आवास स्वीकृत किया जाय तथा महिला सदस्य के नाम से हीं बैंक खाता खुलवाया जाय । परिवार में योग्य महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में हीं पुरूष सदस्य के नाम पर आवास की स्वीकृती एवं बैंक खाता खुलवाया जाएगा । प्रखंड कर्मियों द्वारा खाता खुलवाने की प्रक्रिया में शाखा प्रबंधक को सहयोग दिया जाएगा ।

(घ) अभिलेख तैयार कर सहायता राशि का एडवाइस के माध्यम से लाभार्थियों के खाता पर भुगतान :-

सभी उपस्थिति लाभार्थियों का बैंक खाता खुल जाने एवं शपथ पर बयान हो जाने के पश्चात शिविर की तिथि को शिविर में ही पंचायतवार एक अभिलेख संधारित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया पूरा कर स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा तथा लाभार्थियों के बैंक खाता पर एडवाइस के साथ एक ही चेक से राशि का भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त कंडिका 'क' से 'घ' तक की सारी प्रक्रिया शिविर की तिथि को ही पूरी करनी है । शिविर को सफल बनाने का उत्तरदायित्व उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी । पंचायत/प्रखंड स्तरीय शिविर आयोजन के लिए प्रति पंचायत 5000/- रूपये आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा ।

10 दिनांक 27 अगस्त, 2011 (शनिवार) को पासबुक वितरण हेतु शिविर का आयोजन :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर को सफलता पूर्वक आयोजित करने हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे :-

(क) शिविर की व्यवस्था :-

शिविर आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर हेतु आवश्यकतानुसार टेण्ट/शामियाना/कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था करेंगे ।

(ख) शिविर के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार :-

विशेष अभियान के तहत यह एक महत्वपूर्ण शिविर है । शिविर की सफलता इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर निर्भर करती है । प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर की तिथि से एक

सप्ताह पूर्व से ही लाउडस्पीकर से पूरे प्रखंड क्षेत्र में प्रचार करायेंगे। विभाग स्तर से भी शिविर के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार का कार्य कराया जाएगा ।

(ग) शिविर में सिरकत करने हेतु जन प्रतिनिधि गण को आमंत्रण :-

शिविर के आयोजन को पारदर्शी बनाने के ख्याल से यह आवश्यक है कि इसमें जन प्रतिनिधि गण को भी आमंत्रित किया जाए । प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला के प्रभारी मंत्री/ स्थानीय सांसद/विधायक/विधान पार्षद को आमंत्रण पत्र भेजते हुए शिविर में भाग लेने हेतु अनुरोध करेंगे । राज्य के किन्हीं चार-पॉच प्रखण्डों में आयोजित शिविरों में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला के प्रभारी मंत्री द्वारा अपने हाथों से पासबुक का वितरण भी किया जायेगा ।

(घ) शिविर में पासबुक वितरण :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर में लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत सभी लाभुकों को सहायता राशि की प्रविष्टि किया हुआ फोटोयुक्त पासबुक वितरित हो जाए, यह सुनिश्चित करेंगे । इस कार्य को संपन्न करने के लिए शिविर की तिथि के पूर्व ही अपने प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंक शाखाओं से लगातार सम्पर्क में रहेंगे तथा शिविर में पासबुक के साथ बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित करायेंगें ।

<u>अन्य महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिंदु</u>

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षो के काफी संख्या में आवास अधूरे एवं निर्मणाधीन है, फलस्वरूप इंदिरा आवास के लाभार्थी वेघर स्थिति में ही है । विशेष आभियान के क्रम में ऐसे आवासों को भी पूर्ण कराने की कार्रवाई युद्ध-स्तर पर की जानी चाहिए तथा हर हाल में 31.03.2012 तक सभी अधूरे एवं निर्मणाधीन आवासों को पूर्ण करना सुनिश्चित कराई जाए ।

यह सुनिश्चित किया जाए की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन स्वच्छ एवं पारदर्शी ढ़ग से हो इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त जॉंच दल गठित कर क्षेत्रों में इंदिरा आवास का सत्यापन करायेगें तथा लाभान्वितों की समय-समय पर क्षेत्र में बैठक बुलाकर यह पता लगायेंगें कि लाभार्थियों से किसी ने इंदिरा आवास आवंटित करने अथवा करवाने के नाम पर नाजायज राशि तो नहीं ली है । यदि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी/दलाल/जन प्रतिनिधि द्वारा लाभुको से नाजायज ढंग से राशि ली जाती है तो सूचना मिलते ही शीघ्र जॉच कराकर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए ।

इंदिरा आवास में किसी भी स्तर पर घूसखोरी की जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए । इसके लिए संबंधित व्यक्ति के बयान का विडियो रिकार्डिग कराया जाए । प्राथमिकी दर्ज कराकर धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत पुलिस द्वारा लाभार्थी को न्यायालय में ले जाकर बयान भी दर्ज कराया जाए एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराना सुनिश्चित किया जाए । यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभुकों से गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों द्वारा धोखाधड़ी कर अवैध राशि ली जाती है तो अन्य सुसंगत धाराओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए ।

प्रमंडलीय आयुक्त स्तर से इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण के लिए विभाग द्वारा प्रमंडलीय आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारीयों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

विशेष अभियान के लिए नोडल पदाधिकारी सभी प्रमंडलीय आयुक्त होंगे तथा इस अभियान को सफल बनाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भी उन्हीं का होगा । वे अपने अधीनस्थ जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों के साथ बैठक कर विशेष अभियान को सफल बनायेंगे । विशेष अभियान की कार्रवाई से संबंधित जिलों की प्रगति की समीक्षा कर अभियान को सफल बनाने हेतु प्रमंडल स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जायेगा । कोषांग द्वारा लगातार जिलों के सम्पर्क में रहकर अभियान का प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी तथा प्रमंडलीय आयुक्त को प्रगति से अवगत कराया जाएगा । प्रमंडलीय आयुक्त विशेष अभियान के हर कदम पर किये गये कार्यों की समीक्षा कर जिलावार /प्रखंडवार प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक शुक्रवार को 03.00 बजे अपराह्न तक ई-मेल- iaybihar@gmail.com पर विभाग को प्रतिवेदित करेंगे । प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान की प्रगति से प्रतिदिन अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार विशेष अभियान को सफल बनाया जाय ।

विश्वासभाजन

अमु 11/6/11

(अनूप मुखर्जी)
मुख्य सचिव

कम्प्यूटर शाखा, बिहार विधान सभा
द्वारा मुद्रित ।